

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मद्रसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को मान्यता प्रदान की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [उत्तर प्रदेश मद्रसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004](#) की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की तथा पुष्टि की कि उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिये राज्य को मद्रसा शिक्षा को वनियमिति करने का अधिकार है।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:**
 - न्यायालय ने घोषणा की कि **उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, विशेष रूप से फाजलि (स्नातक) और कामलि (स्नातकोत्तर) स्तर पर, असंवैधानिक** थे।
 - ये प्रावधान [वशिवदियालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956](#) के साथ टकराव में थे, जो [संवधान की सातवीं अनुसूची](#) में [संघ सूची](#) की प्रवर्षिट 66 के अनुसार केंद्र के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
 - नरिणय में स्पष्ट कया गया कि यह **अधनियम राज्य के कर्तव्य के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित कया जा सके कि मान्यता प्राप्त मद्रसों में पढ़ने वाले छात्र न्यूनतम स्तर की योग्यता प्राप्त कर करें।** इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समाज में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि अल्पसंख्यकों को संवधान के [अनुच्छेद 30](#) के तहत अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार पूरण नहीं है।
 - अल्पसंख्यक संस्थानों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में राज्य का वैध हति है और वह सहायता और मान्यता के लिये नयामक शर्तें लगा सकता है।
 - न्यायालय ने [समवर्ती सूची](#) की प्रवर्षिट 25 में 'शिक्षा' की व्यापक व्याख्या की तथा कहा कि यदि मद्रसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका **प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक है, इसलिये वे इस प्रवर्षिट के दायरे में आते हैं।**
 - मद्रसा बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है और छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करता है, जो शैक्षिक ढाँचे के साथ संरेखित होता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नरिणय को खारजि कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2004 का अधनियम [अनुच्छेद 21A \(शिक्षा का अधिकार\)](#) और संवधान के [धर्मनरिपेक्षता](#) सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
 - न्यायालय ने स्पष्ट कया कि अनुच्छेद 21A की व्याख्या **धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों के साथ की जानी चाहिये।**
 - संवधान के [अनुच्छेद 28\(3\)](#) का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को **धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं कया जाना चाहिये**, जिससे उनके [धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार](#) को सुनिश्चित कया जा सके।

उत्तर प्रदेश मद्रसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस अधनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मद्रसों (इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को वनियमिति और संचालित करना था।
- इसने उत्तर प्रदेश में मद्रसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधनियम के तहत राज्य में मद्रसों की गतिविधियों की देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिये **उत्तर प्रदेश मद्रसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।**

